मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(65)

कमांक एफ– 2–2 /2015/सात/शा.6 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः **पूंजी निवेशकों द्वारा कृषि प्रयोजन की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन किए जाने के संबंध में।**

राज्य के चहुमुंखी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा अपनी–अपनी नीतियां जारी की गयी हैं। निजी पूंजी निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिये निवेशक निजी भूमिस्वामित्व की कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित कराना चाहते हैं। निवेश संवर्धन समिति की बैठक में यह तथ्य सामने आये हैं कि निवेशकों को भूमि व्यपवर्तन में कठिनाई हो रही है।

2/ किसी भी धारक द्वारा निजी भूमिस्वामित्व की कृषि प्रयोजन की भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करने का प्रावधान मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में दिया गया है, जिसके अनुसार ऐसी भूमियां जो विकास योजना क्षेत्र के बाहर स्थित हैं और निवेशक भूमिस्वामी ऐसी भूमि औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करना चाहता है तो उसे केवल उपखंड अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित जानकारी देना पर्याप्त है, इसके लिए किसी लिखित अनुज्ञा आदेश की आवश्यकता नहीं है।

3/ उक्त प्रावधान के अनुसार ऐसे मामलो में उपखंड अधिकारी द्वारा औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन की सूचना मिलने पर संहिता की धारा 59 का प्रकरण दर्ज करते हुए नियमानुसार प्रीमियम का अधिरोपण तथा पुनरीक्षित भू–राजस्व का निर्धारण मात्र करना होता है। अतः व्यपवर्तन की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी तत्काल पूर्ण सक्रियता के साथ प्रीमियम के अधिरोपण एवं भू–राजस्व के पुनर्निधारण की कार्यवाही सुनिश्चित् करें तथा अधिरोपित राशि की उगाही सुनिश्चित् कराएं जिससे एक ओर उद्योगों को तत्काल समुचित सुविधा मिले, वहीं दूसरी ओर राज्य को राजस्व की आय भी हो।

4/ उपरोक्त व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगो में प्रचारित कराई जाए तथा सभी संबंधित कार्यालयों जैसे– जिला उद्योग केन्द्र, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एवं स्थानीय नगरीय निकाय आदि को भी उक्त व्यवस्था से अवगत करायें और अपने जिले में पदस्थ समस्त उपखंड अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दें।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कमांक एफ – 2–2 /2015/सात/शा.6 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(20)

संचानलालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

ID 29/7

क.प्राविवि / मु.मं.यु.स्व.यो. / संविसं / 2014 / 2013

भोपाल, दिनांक 07–06– 2014

प्रति,

1. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
2. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त निजी क्षेत्र के बैंक
3. **अध्यक्ष,** समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. **प्रबंध संचालक,** म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0, टी0टी0 नगर, भोपाल।

विषयः– राज्य शासन की विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं अंतर्गत कृषि भूमि पर उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन (डायवर्सन) की अनुज्ञा की अपेक्षा बाबत्।

संदर्भः– मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग का ज्ञाप क. एफ 2–1 / 2013 / सत / शा–6 दिनांक 11 मार्च 2013 एवं टीप क. 22 दिनांक 22–01–2014।

=0=

2632 29-7-15

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञाप एवं टीप की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि कृषि भूमि, जिसे उद्योग के लिये व्यपवर्तन किया जाना है, के मामलों में उपखण्ड अधिकारी (SDO) को लिखित जानकारी दिया जाना पर्याप्त है, व्यपवर्तन की कोई अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार व्यपवर्तन हेतु अनुज्ञा देने एवं शर्तें अधिरोपित करने की अग्रिम कार्यवाही की कोई अपेक्षा नहीं है।

राजस्व विभाग के उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं अंतर्गत उद्योगों की स्थापना करने हेतु परियोजना की स्वीकृति एवं ऋण वितरण करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि हितग्राही द्वारा उपखण्ड अधिकारी को कृषि भूमि का उपयोग उद्योग के लिये करने की लिखित जानकारी दी गई है अथवा नहीं। हितग्राही द्वारा दी गई सूचना की एक प्रति बैंक द्वारा अपने अभिलेख में रखी जाना पर्याप्त होगा, परन्तु बैंक शाखा द्वारा हितग्राही से कृषि भूमि के व्यपवर्तन (डायवर्सन) की अनुज्ञा की अपेक्षा नहीं की जाना है।

राज्य शासन द्वारा की गई उक्तानुसार व्यवस्था से सभी शाखाओं को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि हितग्राही लाभान्वित हो सकें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

7.6.2014

(आशीष उपाध्याय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त